राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या 972/2014/बांसवाडा

जमनालाल पुत्र श्री पन्ना लाल,
तहसील मेघनगर, जिला झाबूआ (म.प्र.) .....प्रार्थी

बनाम

1. आबकारी आयुक्त राजस्थान, जयपुर
2. कृष्णसिंह तंवर पुत्र अमरसिंह तंवर,
   विजय इंजिनीयरिंग वर्क्स, 43–44बी,
   इंडस्ट्रियल एरिया दाहोद रोड, बांसवाडा। .....अप्रार्थी

खण्डपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष
श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित :

श्री अभिषेक अजमेरा, अभिभाषक .....प्रार्थी की ओर से
श्री अनिल पोखरणा, उप राजकीय अभिभाषक। .....अप्रार्थी राजस्व की ओर से.
श्री वी.सी.सोगानी, अभिभाषक .....अप्रार्थी सं. 2 की ओर से

निर्णय दिनांक : 17.10.2016

निर्णय

1. यह निगरानी प्रार्थी द्वारा आबकारी आयुक्त उदयपुर के आदेश दिनांक 23.04.2014 के विरूद्ध राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 (जिसे आगे "**अधिनियम**" कहा जायेगा) की धारा 9ए(4) के तहत प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आबकारी आयुक्त द्वारा वर्ष 2014–15 के लिये भारत निर्मित विदेशी मदिरा एव बीयर खुदरा दुकानों के बन्दोबस्त के लिए आवेदन आमन्त्रित किए। प्रार्थी ने निर्धारित प्रारूप में भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर खुदरा दुकान बांसवाडा के आवंटन के लिए जिला आबकारी अधिकारी, बांसवाडा के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया। बांसवाडा शहर के लिए भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर की 8 खुदरा दुकानें लॉटरी प्रक्रिया से आवंटित की गई। जिसमें से एक दुकान जिला आबकारी अधिकारी बांसवाडा द्वारा प्रार्थी को आवंटित की गई। जिला आबकारी अधिकारी बांसवाडा द्वारा जारी स्वीकृति पत्र दिनांक 21.02.2014 में प्रदत्त निर्देशों के तहत प्रार्थी द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तुत अमानत राशि रूपये 42,000/– (वार्षिक अनुज्ञा राशि का 5 प्रतिशत) को शामिल करते हुए दिनांक 23.02.2014 तक वार्षिक अनुज्ञा शुल्क की राशि रूपये 3,36,000/– एवं शेष राशि रूपये 2,63,000/– दस दिवस की अवधि में दिनांक 02.03.2014 तक राजकोष में जमा कराये जाने थे। यह राशि प्रार्थी द्वारा निर्धारित समयावधि में राजकोष में जमा करवा दी गई थी।

3. अप्रार्थी संख्या 2 ने प्रार्थी के विरूद्ध जिला आबकारी अधिकारी, बांसवाडा के समक्ष एक शिकायत प्रस्तुत की। इस शिकायत में प्रार्थी के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण संख्या 479/2010 न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी थाण्डला जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश के समक्ष अन्वीक्षाधीन होना बताया। जिसके कारण प्रार्थी को भारत निर्मित विदेश मदिरा एवं बीयर खुदरा दुकान बांसवाडा का अनुज्ञा पत्र जारी नहीं किया जा सकता। इस शिकायत के परिप्रेक्ष्य में जिला आबकारी अधिकारी बांसवाडा ने प्रार्थी को नोटिस दिनांक 12.03.2014 जारी किया। नोटिस की पालना में प्रार्थी ने दिनांक 18.03.2014 को जिला आबकारी अधिकारी बांसवाडा के समक्ष जवाब प्रस्तुत किया।

4. जिला आबकारी अधिकारी बांसवाडा ने समस्त तथ्यों, दस्तावेजों एवं कानूनी प्रावधानों पर विचार करने के उपरांत श्री कृष्णसिंह (अप्रार्थी सं02) द्वारा प्रस्तुत शिकायत को खारिज कर दिया गया तथा आदेश दिनांक 25.03.2014 के द्वारा प्रार्थी को भारत निर्मित विदेशी

क्रमश.....2.

मदिरा एव बीयर दुकान बांसवाडा का अनुज्ञा पत्र धारण करने योग्य मानते हुए दुकान प्रार्थी को आवंटित की। जिसकी पालना में प्रार्थी ने 24.04.2014 तक की अवधि में भारत निर्मित विदेशी मदिरा एंव बीयर का निर्गम आर.एस.बी.सी.एल. के गोदाम से प्राप्त की गई। अप्रार्थी संख्या 2 ने जिला आबकारी अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आबकारी आयुक्त के समक्ष अधिनियम की धारा 9ए के तहत अपील प्रस्तुत की, जिसको दिनांक 23.04.2014 द्वारा आबकारी आयुक्त ने स्वीकारते हुए जिला आबकारी अधिकारी के आदेश दिनांक 25.03.2014 को खारिज किया। उक्त आदेश के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के समक्ष रिट याचिका संख्या 3292/2014 प्रस्तुत की गई। परन्तु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने उक्त याचिका को दिनांक 20.5.2014 को अधिनियम की धारा 9ए के अन्तर्गत उपलब्ध प्रावधानों के दृष्टिगत वापस लिये जाने की अनुमति प्रदान कर दी। इसी दरमियान जिला आबकारी अधिकारी ने अपने पत्र दिनांक 24.04.2014 द्वारा प्रार्थी को आवंटित दुकान को निरस्त करते हुए उक्त दुकान अप्रार्थी संख्या 2 को वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिये आवंटित की गई।

5. अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 में आवंटित उक्त दुकान का उपभोग कर लिया गया। वर्तमान में इस प्रकरण में कोई भी कार्यवाही किया जाना शेष नहीं पाया जाता है। जिससे यह निगरानी सारहीन होने के कारण निष्प्रभावी हो जाती है। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में सहायक आयुक्त, हनुमानगढ़ बनाम् मोहित ट्रेडिंग, 25 टैक्स अपडेट 59 (राज.) का दृष्टांत प्रस्तुत किया।

6. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

7. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी। रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया एवम् माननीय न्यायालयों के ऊपर उद्धरित न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन किया गया। विद्वान आबकारी आयुक्त, राजस्थान ने अप्रार्थी सं.2 के प्रकरण में प्रार्थी के सम्बंध में निर्णय दिनांक 23.4.2014 पारित किया गया–"**अप्रार्थी श्री जमनालाल अनुज्ञापत्र के आवेदन के पात्र नहीं होने के उपरान्त भी जिला आबकारी अधिकारी, बांसवाड़ा द्वारा मामले की पूर्ण जांच न कर श्री जमनालाल को अनुज्ञापत्र दिया गया है जो विधिसम्मत नहीं है। श्री जमनालाल को जारी अनुज्ञापत्र शर्त संख्या 7.3 का स्पष्टतः उल्लघंन है। अतः जिला आबकारी अधिकारी बांसवाड़ा का आदेश दिनांक 25.03.2014 निरस्त किया जाकर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तथा जिला आबकारी अधिकारी बांसवाड़ा को निर्देश दिये जाते हैं कि वह नियमानुसार प्रथम रिजर्व पार्टी को अनुज्ञापत्र जारी करने की कार्यवाही करें।**" उपरोक्त आदेश की पालना में जिला आबकारी अधिकारी, बांसवाडा ने अपने आदेश दि. 24.4.2014 को अनुपालना कर दी। अतः आबकारी आयुक्त के निर्देशों की पालना होने से अब निगरानी सारहीन हो गयी। हमारे विनम्र मत में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत **25 टैक्स अपडेट 59, 9 आर.टी.जे.एस. 8 एवम् 20 टैक्स वर्ल्ड 64 (आर.टी.टी.)** तथा कर बोर्ड की समन्वय पीठ के उद्धरित निर्णय **38 टैक्स वर्ल्ड 16** के निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में **दिनांक 24.04.2014** को जिला आबकारी अधिकारी द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 को वांछित दुकान का आवंटन वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिये किया जा चुका है। जिससे दिये गये निर्देशों की पालना में आदेश पारित किये जाने के फलस्वरूप प्रस्तुत निगरानी "सारहीन" हो गयी है।

8. परिणामतः निगरानी सारहीन हो जाने के फलस्वरूप अस्वीकार की जाती है ।

निर्णय प्रसारित किया गया ।

17.10.2016

(मदन लाल)
सदस्य

(खेमराज)
अध्यक्ष